# भारतीय संसद

## विषय सूची।


| क्रमांक | विषय वस्तु | पृष्ठ संख्या |
|---|---|---|
| 1 | ➢ प्रस्तावना | 2–2 |
| 2 | ➢ इतिहास व व्युत्पत्ति | 3–7 |
| 3 | ➢ संसद की भूमिका<br>• राष्ट्रपति<br>• राज्यसभा<br>• मंत्रिपरिषद | 7–33 |
| 4 | ➢ संसद और सरकार | 33–34 |
| 5 | ➢ संसद सदस्यों का चुनाव<br>• पात्रता<br>• चुनाव संबन्धी विवाद | 35–37 |
| 6 | ➢ संसद के सत्र और बैठकें<br>• राष्ट्रपति द्वारा आमान्त्रण<br>• संसद के सत्र<br>• राष्ट्रपति का अभिभाषण<br>• अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव | 38–39 |
| 7 | ➢ कार्यक्रम और प्रक्रिया<br>• संसद में प्रश्न पूछना<br>• शून्यकाल<br>• संसद मे जनहीत के मामले<br>• भाषा | 39–42 |
| 8 | ➢ विधायिका प्रक्रिया | 42–42 |
| 9 | ➢ संसदीय विशेषाधिकार | 43–45 |
| 10 | ➢ सदस्यों के वेतन एवं भत्ते | 46–55 |

## प्रस्तावना

भारतीय संसद भारत गणराज्य का सर्वोच्च वधायी निकाय है। यह भारत के राष्ट्रपति और दो सदनों: राज्य सभा (राज्यों का सदन) और लोक सभा (लोगों का सदन) से बना एक द् वसदनीय वधानसभा है। राष्ट्रपति को वधायिका के प्रमुख के रूप में अपनी भू मका में संसद के सदन को बुलाने और सत्रावसान करने या लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति है। राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमन्त्री और उनकी केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् की परामर्शानुसार करते हैं।

संसद के कसी भी सदन के लए राष्ट्रपति द्वारा निर्वा चत या मनोनीत लोगों और मंत्रियों को संसद सदस्य कहा जाता है। संसद, लोक सभा के सदस्य एकल सदस्यीय जिलों में भारतीय जनता के मतदान द्वारा सीधे चुने जाते हैं और संसद सदस्य, राज्य सभा सभी राज्य वधान सभा के सदस्यों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधान द्वारा चुने जाते हैं। संसद में लोकसभा में 543 और राज्यसभा में 245 की स्वीकृत संख्या है, जिसमें साहित्य, कला, वज्ञान और समाज सेवा के व भन्न क्षेत्रों की वशेषज्ञता से 12 नामां कत व्यक्ति शा मल हैं। संसद नई दिल्ली में संसद भवन में मलती है।

लोक सभा में राष्ट्र की जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनि ध होते हैं जिनकी अ धकतम संख्या 550 है। राज्य सभा एक स्थायी सदन है जिसमें अ धकतम सदस्य संख्या 250 है। राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन/मनोनयन 6 वर्ष के लए होता है। जिसके 1/3 सदस्य प्रत्येक

2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते रहते हैं। वर्तमान मे लोकसभा के सदस्यों की संख्या 543 है तथा राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है।

## इतिहास व व्युत्पत्ति

भारत की राजनीतिक व्यवस्था एक संसदीय लोकतंत्र है। ग्राम-पंचायतें हमारे जन-जीवन का अ भन्न अंग रही है। पुराने समय में गाँवो की पंचायत चुनाव से गठित की जाती थी। उसे न्याय और व्यवस्था, दोनों ही क्षेत्रों में खूब अ धकार मले हुए थे। पंचायतों के सदस्यों का राजदरबार में बड़ा आदर होता था। यही पंचायतें भू म का बंटवारा करती थीं। कर वसूल करती थीं। गाँव की ओर से सरकार कर का हिस्सा देती थीं। कहीं कहीं कई ग्राम-पंचायतों के ऊपर एक बड़ी पंचायत भी होती थी। यह उन पर निगरानी और नियंत्रण रखती थी। कुछ पुराने शलालेख यह भी बताते हैं क ग्राम-पंचायतों के सदस्य कस प्रकार चुने जाते थे। सदस्य बनने के लए जरूरी गुणों और चुनावों में महिलाओं की भागीदारी के नियम भी इस पर लखे थे। अच्छा आचरण न करने पर अथवा राजकीय धन का ठीक ठीक हिसाब न कर पाने पर कोई भी सदस्य पद से हटाया जा सकता था। पदों पर कसी भी सदस्य का कोई निकट-संबंधी नियुक्त नहीं कया जा सकता था।

मध्य युग में आकर संसद सभा और स मति जैसी संस्थाएं गायब हो गईं। ऊपर के स्तर पर लोकतंत्रात्मक संस्थाओं का वकास रूक गया। सैकड़ों वर्षों तक हम आपसी लड़ाइयों में उलझे रहे। वदे शयों के आक्रमण पर आक्रमण होते रहे। सेनाएं हारती-जीतती रहीं।

शासक बदलते रहे। हम  वदेशी शासन की गुलामी में भी जकड़े रहे।  संध से असम तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक, पंचायत संस्थाएं बराबर चलती रहीं। ये प्रादे शक जनपद परिषद् नगर परिषद, पौर सभा, ग्राम सभा, ग्राम संघ जैसे अलग नामों से पुकारी जाती रहीं। सच में ये पंचायतें ही गांवों की 'संसद' थीं। सन 1883 के चार्टर अ धनियम में पहली बार एक  वधान परिषद के बीज दिखाई पड़े। 1853 के अंतिम चार्टर अ धनियम के द्वारा  वधायी पार्षद शब्दों का प्रयोग  कया गया। यह नयी कौं सल  शकायतों की जांच करने वाली और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करने वाली सभा जैसा रूप धारण करने लगी।

सं वधान सभा की बैठक १९५०

जवाहरलाल नेहरू व अन्य सदस्य भारत की सं वधान सभा की मध्य-रात्रि सत्र में शपथग्रहण करते हुए, १५ अगस्त १९४७अमेरिकी राष्ट्रपति जि म कार्टर, संसद के केंद्रीय कक्ष में संसद के संयुक्त सत्र को संबो धत करते हुए

1857 की आजादी के  लए पहली लड़ाई के बाद 1861 का भारतीय कौं सल अ धनियम बना। इस अ धनियम को 'भारतीय  वधानमंडल का प्रमुख घोषणापत्र' कहा गया। जिसके द्वारा 'भारत में  वधायी अ धकारों के अंतरण की प्रणाली' का उदघाटन हुआ। इस अ धनियम द्वारा केंद्रीय एवं प्रांतीय स्तरों पर  वधान बनाने की व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन  कए गए। अंग्रेजी राज के भारत में जमने के बाद पहली बार  वधायी निकायों में गैर-सरकारी लोगों के रखने की बात को माना गया।

1860 और 1870 के दशकों से ही भारतीयों में राजनीतिक चेतना पनपने लगी थी। 1870 के अंत में 1880 के दशक के शुरू में भारतीय जनमानस राजनीतिक रूप से काफी जागरूक हो चुका था। 1885 में इस राजनीतिक चेतना ने करवट बदली। भारतीय राजनीतिक और राजनीति में स क्रय बु द्धजीवी, राष्ट्रीय हितों के  लए राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष करने के  लए एक संगठन की जरूरत महसूस  कए। इसी कड़ी में ए॰ओ॰ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में की ता क कौं सल में सुधार कर सके। ब्रिटिश संसद ने ' वधान परिषदों में भारत की जनता को वास्तव में प्रतिनि धत्व देने' के  लए इं डयन कौं सल्ज़ अ धनियम 1892 को स्वीकार  कया। 1919 में सुधार अ धनियम और उसके अधीन कई नियम बनाए गए। जिनके कारण केंद्र में, भारतीय  वधान परिषद

के स्थान पर द् वसदनीय वधानमंडल बनाया गया। जिसमें एक थी राज्य परिषद और दूसरा थी वधान सभा। प्रत्येक सदन में अ धकांश सदस्यों का चुनाव होता था। पहली वधान सभा वर्ष 1921 में गठित हुई थी। उसके कुल 145 सदस्य थे। 104 निर्वा चत, 26 सरकारी सदस्य और 15 मनोनीत गैर-सरकारी सदस्य।

1923 में, देशबंधु चतरंजन दास और पं डत मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। वे सोचते थे क 'शत्रु के कैंप' में घुसकर व्यवस्था को तोड़ने के लए परिषदों में स्थान बनाया जाए। इसके लए चुनाव में भाग लया गया। स्वराज पार्टी को 1923 के चुनावों में बहुत सफलता मली। स्वराज पार्टी ने 145 स्थानों में से 45 स्थान जीते। पार्टी केंद्रीय वधानमंडल में थी।

केंद्रीय वधान सभा के नए चुनाव में कांग्रेस 1942 के 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव को लेकर लड़ा। चुनावों में कांग्रेस को 102 में से 56 सीटें मलीं। कांग्रेस वधायक दल के नेता शरत चन्द्र बोस थे। भारतीय स्वतंत्रता अ धनियम 1947 के अधीन कुछ परिवर्तन हुए। 1935 के अ धनियम के वे उपबंध काम के नहीं रह गए जिनके तहत गवर्नर-जनरल या गवर्नर अपने ववेका धकार के अनुसार अथवा अपने व्यक्तिगत वचार के अनुसार कार्य कर सकता था।

भारतीय स्वतंत्रता अ धनियम, 1947 में भारत की सं वधान सभाको पूर्ण प्रभुसत्ता संपन्न निकाय घो षत कया गया। 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को उस सभा ने देश का शासन चलाने की पूर्ण शक्तियां ग्रहण कर लीं। अ धनियम की धारा 8 के द्वारा

सं वधान सभा को पूर्ण वधायी शक्ति प्राप्त हो गई। कंतु साथ ही यह अनुभव कया गया क सं वधान सभा के सं वधान-निर्माण के कार्य तथा वधानमंडल के रूप में इसके साधारण कार्य में भेद बनाए रखना जरूरी होगा।

सं वधान सभा ( वधायी) की एक अलग निकाय के रूप में पहली बैठक 17 नवम्बर 1947 को हुई। इसके अध्यक्ष सभा के प्रधान डॉ॰ राजेन्द्र प्रसाद थे। सं वधान अध्यक्ष पद के लए केवल श्री जी.वी. मावलंकर का एक ही नाम प्राप्त हुआ था। इस लए उन्हें व धवत चुना हुआ घो षत कया गया। 14 नवम्बर 1948 को सं वधान का प्रारूप सं वधान सभा में प्रारूप स मति के सभापति बी॰आर॰ अम्बेडकर ने पेश कया। प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत था। 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्र भारत के गणराज्य का सं वधान लागू हो गया। इसके कारण आधुनिक संस्थागत ढांचे और उसकी अन्य सब शाखा-प्रशाखाओं सहित पूर्ण संसदीय प्रणाली स्था पत हो गई। सं वधान सभा भारत की अस्थायी संसद बन गई। वयस्क मता धकार के आधार पर पहले आम चुनावों के बाद नए सं वधान के उपबंधों के अनुसार संसद का गठन होने तक इसी प्रकार कार्य करती रही।

नए सं वधान के तहत पहले आम चुनाव वर्ष 1951-52 में हुए। संसद जिसके दो सदन थे, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्यों का प्रथम निर्वाचन मई, 1952 में हुआ; लोकसभा के सदस्यों का दूसरा निर्वाचन मई 1957 में; तीसरा अप्रैल 1962 में; चौथा मार्च 1967 में; पांचवाँ मार्च 1971 में; छठा मार्च 1977 में; सातवां जनवरी 1980 में; आठवां जनवरी 1985 में; नवां दिसंबर 1989 में, दसवां जून 1991 और ग्यारहवां 1996 में हुआ।

राज्यसभा के एक-तिहाई सदस्य हर दो वर्ष में बदल दिए जाते हैं, जब क लोकसभा के सभी सदस्य हर पांच साल में।

## संसद की भू मका

भारतीय लोकतंत्र में संसद जनता की सर्वोच्च प्रतिनि ध संस्था है। इसी माध्यम से आम लोगों की संप्रभुता को अ भव्यक्ति मलती है। संसद ही इस बात का प्रमाण है क हमारी राजनीतिक व्यवस्था में जनता सबसे ऊपर है, जनमत सर्वोपरि है। 'संसदीय' शब्द का अर्थ ही ऐसी लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहाँ सर्वोच्च शक्ति लोगों के प्रतिनि धयों के उस निकाय में निहित है जिसे 'संसद' कहते हैं। भारत के सं वधान के अधीन संघीय वधानमंडल को 'संसद' कहा जाता है। यह वह धुरी है, जो देश के शासन की नींव है। भारतीय संसद राष्ट्रपति, दो सदनों—राज्यसभा व लोकसभा और मंत्रिपरिषद से मलकर बनती है।

### राष्ट्रपति

भारत के राष्ट्रपति, भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से कये जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित हैं। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनानायक भी हैं। सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध/शान्ति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है।

सद्धान्ततः राष्ट्रपति के पास पर्याप्त शक्ति होती है। पर कुछ अपवादों के अलावा राष्ट्रपति के पद में निहित अ धकांश अ धकार वास्तव में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता वाले मंत्रिपरिषद के द्वारा उपयोग कए जाते हैं।

भारत के राष्ट्रपति नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में रहते हैं, जिसे रायसीना हिल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति अ धकतम कतनी भी बार पद पर रह सकते हैं इसकी कोई सीमा तय नहीं है। अब तक केवल पहले राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद ने ही इस पद पर दो बार अपना कार्यकाल पूरा कया है।

प्रतिभा पाटिल भारत की 12वीं तथा इस पद को सुशो भत करने वाली पहली महिला राष्ट्रपति हैं।[2] उन्होंने 25 जुलाई 2007 को पद व गोपनीयता की शपथ ली थी।[3] वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू भारत के 15वीं राष्ट्रपति हैं।

इतिहास

15 अगस्त 1947 को भारत ब्रिटेन से स्वतन्त्र हुआ था और अन्तरिम व्यवस्था के तहत देश एक राष्ट्रमण्डल अ धराज्य बन गया। इस व्यवस्था के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत के राष्ट्रप्रमुख के रूप में स्था पत कया गया, जिन्हें ब्रिटिश इं डया में ब्रिटेन के अन्तरिम राजा - जॉर्ज VI द्वारा ब्रिटिश सरकार के बजाय भारत के प्रधानमन्त्री की सलाह पर नियुक्त करना था।

यह एक अस्थायी उपाय था, परन्तु भारतीय राजनीतिक प्रणाली में साझा राजा के अस्तित्व को जारी रखना सही मायनों में सम्प्रभु राष्ट्र के लए उपयुक्त वचार नहीं था। आजादी से पहले भारत के आखरी ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड माउण्टबेटन ही भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे। जल्द ही उन्होंने चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को यह पद सौंप दिया, जो भारत के इकलौते भारतीय मूल के गवर्नर जनरल बने थे। इसी बीच डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में सं वधान सभा द्वारा 26 नवम्बर 1949 को भारतीय सं वधान का मसौदा तैयार हो चुका था और 26 जनवरी 1950 को औपचारिक रूप से सं वधान को स्वीकार कया गया था। इस ति थ का प्रतीकात्मक महत्व था क्यों क 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन से पहली बार पूर्ण स्वतन्त्रता को आवाज दी थी। जब सं वधान लागू हुआ और डॉ॰ राजेंद्र प्रसाद ने भारत के पहले राष्ट्रपति का पद संभाला तो उसी समय गवर्नर जनरल और राजा का पद एक निर्वा चत राष्ट्रपति द्वारा प्रतिस्था पत हो गया।

इस कदम से भारत की एक राष्ट्रमण्डल अ धराज्य की स्थिति समाप्त हो गया। ले कन यह गणतन्त्र राष्ट्रों के राष्ट्रमण्डल का सदस्य बना रहा। क्यों क भारत के प्रथम प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने तर्क कया की यदि कोई भी राष्ट्र ब्रिटिश सम्राट को "राष्ट्रमण्डल के प्रधान" के रूप में स्वीकार करे पर आवश्यक नहीं है क वह ब्रिटिश सम्राट को अपने राष्ट्रप्रधान की मान्यता दे, उसे राष्ट्रमण्डल में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण निर्णय था जिसने बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में नए-

स्वतन्त्र गणराज्य बने कई अन्य पूर्व ब्रिटिश उपनिवेशों के राष्ट्रमण्डल में रहने के लए एक मसाल स्था पत कया।

## राष्ट्रपति का चुनाव

भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 55 के अनुसार आनुपातिक प्रतिनि धत्व प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है।

राष्ट्रपति को भारत के संसद के दोनो सदनों (लोक सभा और राज्य सभा) तथा साथ ही राज्य वधायिकाओं ( वधान सभाओं) के निर्वा चत सदस्यों द्वारा पाँच वर्ष की अव ध के लए चुना जाता है। मत आवण्टित करने के लए एक फार्मूला इस्तेमाल कया गया है ता क हर राज्य की जनसंख्या और उस राज्य से वधानसभा के सदस्यों द्वारा मत डालने की संख्या के बीच एक अनुपात रहे और राज्य वधानसभाओं के सदस्यों और राष्ट्रीय सांसदों के बीच एक समानुपात बनी रहे। अगर कसी उम्मीदवार को बहुमत प्राप्त नहीं होती है तो एक स्था पत प्रणाली है जिससे हारने वाले उम्मीदवारों को प्रतियो गता से हटा दिया जाता है और उनको मले मत अन्य उम्मीदवारों को तबतक हस्तान्तरित होता है, जब तक कसी एक को बहुमत नहीं मलता।

राष्ट्रपति बनने के लए आवश्यक योग्यताएँ:

भारत का कोई नागरिक जिसकी उम्र 35 साल या अ धक हो वह पद का उम्मीदवार हो सकता है। राष्ट्रपति पद के  लए उम्मीदवार को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होना चाहिए और सरकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण  कया हुआ नहीं होना चाहिए। परन्तु निम्न ल खत कुछ कार्यालय-धारकों को राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने की अनुमति दी गई है:

- वर्तमान राष्ट्रपति
- वर्तमान उपराष्ट्रपति
- कसी भी राज्य के राज्यपाल
- संघ या  कसी राज्य के मन्त्री।

राष्ट्रपति के निर्वाचन सम्बन्धी  कसी भी  ववाद में निणर्य लेने का अ धकार उच्चतम न्यायालय को है।

राष्ट्रपति पर महा भयोग

अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महा भयोग से संबं धत है। भारतीय सं वधान के अंतर्गत राष्ट्रपति मात्र महा भयोजित होता है, अन्य सभी पदा धकारी पद से हटाये जाते हैं। महा भयोजन एक  वधायिका सम्बन्धित कार्यवाही है जब क पद से हटाना एक कार्यपा लका सम्बन्धित कार्यवाही है। महा भयोजन एक कड़ाई से पा लत  कया जाने वाला औपचारिक कृत्य है जो सं वधान का उल्लघंन करने पर ही होता है। यह उल्लघंन

एक राजनैतिक कृत्य है जिसका निर्धारण संसद करती है। वह तभी पद से हटेगा जब उसे संसद में प्रस्तुत  कसी ऐसे प्रस्ताव से हटाया जाये जिसे प्रस्तुत करते समय सदन के १/४ सदस्यों का समर्थन  मले। प्रस्ताव पारित करने से पूर्व उसको 14 दिन पहले नोटिस दिया जायेगा। प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 से अ धक बहुमत से पारित होना चाहिये। फर दूसरे सदन में जाने पर इस प्रस्ताव की जाँच एक स मति के द्वारा होगी। इस समय राष्ट्रपति अपना पक्ष स्वंय अथवा वकील के माध्यम से रख सकता है। दूसरा सदन भी उसे उसी 2/3 बहुमत से पारित करेगा। दूसरे सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने के दिन से राष्ट्रपति पद से हट जायेगा।

## न्यायिक शक्तियाँ

सं वधान का 72वाँ अनुच्छेद राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियाँ देता है  क वह दंड का उन्मूलन, क्षमा, आहरण, परिहरण, परिवर्तन कर सकता है।

- क्षमादान –  कसी व्यक्ति को  मली संपूर्ण सजा तथा दोष  स द्ध और उत्पन्न हुई निर्योज्ञताओं को समाप्त कर देना तथा उसे उस स्थिति में रख देना मानो उसने कोई अपराध  कया ही नहीं था। यह लाभ पूर्णतः अथवा अंशतः  मलता है तथा सजा देने के बाद अथवा उससे पहले भी  मल सकती है।
- लघुकरण – दंड की प्रकृति कठोर से हटा कर नम्र कर देना उदाहरणार्थ सश्रम कारावास को सामान्य कारावास में बदल देना
- परिहार – दंड की अव ध घटा देना परंतु उस की प्रकृति नहीं बदली जायेगी

- वराम – दंड में कमी ला देना यह वशेष आधार पर मलती है जैसे गर्भवती महिला की सजा में कमी लाना
- प्र वलंबन – दंड प्रदान करने में वलम्ब करना वशेषकर मृत्यु दंड के मामलों में

राष्ट्रपति की क्षमाकारी शक्तियां पूर्णतः उसकी इच्छा पर निर्भर करती हैं। उन्हें एक अ धकार के रूप में मांगा नहीं जा सकता है। ये शक्तियां कार्यपा लका प्रकृति की है तथा राष्ट्रपति इनका प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करेगा। न्यायालय में इनको चुनौती दी जा सकती है। इनका लक्ष्य दंड देने में हुई भूल का निराकरण करना है जो न्यायपा लका ने कर दी हो।

शेर संह बनाम पंजाब राज्य 1983 में सुप्रीमकोर्ट ने निर्णय दिया की अनु 72, अनु 161 के अंतर्गत दी गई दया या चका जितनी शीघ्रता से हो सके उतनी जल्दी निपटा दी जाये। राष्ट्रपति न्यायिक कार्यवाही तथा न्यायिक निर्णय को नहीं बदलेगा वह केवल न्यायिक निर्णय से राहत देगा या चकाकर्ता को यह भी अ धकार नहीं होगा क वह सुनवाई के लये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित हो

वीटो शक्तियाँ

---

वधायिका की कसी कार्यवाही को व ध बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है सं वधान राष्ट्रपति को तीन प्रकार के वीटो देता है।

1. पूर्ण वीटो – निर्धारित प्र कया से पास बिल जब राष्ट्रपति के पास आये (सं वधान संशोधन बिल के अतिरिक्त) तो वह् अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति की घोषणा कर सकता है कंतु यदि अनु 368 (स वधान संशोधन) के अंतर्गत कोई बिल आये तो वह अपनी अस्वीकृति नहीं दे सकता है। यद्य प भारत में अब तक राष्ट्रपति ने इस वीटो का प्रयोग बिना मंत्रिपरिषद की सलाह के नहीं कया है माना जाता है क वह ऐसा कर भी नहीं सकता (ब्रिटेन में यही पंरपंरा है जिसका अनुसरण भारत में कया गया है)।

2. निलम्बनकारी वीटो – सं वधान संशोधन अथवा धन बिल के अतिरिक्त राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी बिल वह संसद को पुर्न वचार हेतु वा पस भेज सकता है कंतु संसद यदि इस बिल को पुनः पास कर के भेज दे तो उसके पास सवाय इसके कोई वकल्प नहीं है क उस बिल को स्वीकृति दे दे। इस वीटो को वह अपने ववेका धकार से प्रयोग लेगा। इस वीटो का प्रयोग अभी तक संसद सदस्यों के वेतन बिल भत्ते तथा पेंशन नियम संशोधन 1991 में कया गया था। यह एक वत्तीय बिल था। राष्ट्रपति रामस्वामी वेंकटरमण ने इस वीटो का प्रयोग इस आधार पर कया क यह बिल लोकसभा में बिना उनकी अनुमति के लाया गया था।

3. पॉकेट वीटो – सं वधान राष्ट्रपति को स्वीकृति अस्वीकृति देने के लये कोई समय सीमा नहीं देता है यदि राष्ट्रपति कसी बिल पर कोई निर्णय ना दे (सामान्य बिल,

न क धन या सं वधान संशोधन) तो माना जायेगा क उस ने अपने पॉकेट वीटो का प्रयोग कया है यह भी उसकी ववेका धकार शक्ति के अन्दर आता है। पेप्सू बिल 1956 तथा भारतीय डाक बिल 1984 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल संह ने इस वीटो का प्रयोग कया था।

राष्ट्रपति की संसदीय शक्ति

राष्ट्रपति संसद का अंग है। कोई भी बिल बिना उसकी स्वीकृति के पास नहीं हो सकता अथवा सदन में ही नहीं लाया जा सकता है।

राष्ट्रपति की ववेकाधीन शक्तियाँ

---

1. अनु 74 के अनुसार
2. अनु 78 के अनुसार प्रधान मंत्री राष्ट्रपति को समय समय पर मल कर राज्य के मामलों तथा भावी वधेयकों के बारे में सूचना देगा, इस तरह अनु 78 के अनुसार राष्ट्रपति सूचना प्राप्ति का अ धकार रखता है यह अनु प्रधान मंत्री पर एक संवैधानिक उत्तरदायित्व रखता है यह अ धकार राष्ट्रपति कभी भी प्रयोग ला सकता है इसके माध्यम से वह मंत्री परिषद को वधेयकों निर्णयों के परिणामों की चेतावनी दे सकता है
3. जब कोई राजनैतिक दल लोकसभा में बहुमत नहीं पा सके तब वह अपने ववेकानुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा

4. निलंबन वीटो/पॉकेट वीटो भी  ववेकी शक्ति है

5. संसद के सदनो को बैठक हेतु बुलाना

6. अनु 75 (3) मंत्री परिषद के सम्मि लत उत्तरदायित्व का प्रतिपादन करता है राष्ट्रपति मंत्री परिषद को  कसी निर्णय पर जो  क एक मंत्री ने व्यक्तिगत रूप से लया था पर सम्मि लत रूप से  वचार करने को कह सकता है।

7. लोकसभा का  वघटन यदि मंत्रीपरिषद को बहुमत प्राप्त नहीं है

सं वधान के अन्तर्गत राष्ट्रपति की स्थिति

---

रामजस कपूर वाद तथा शेर  संह वाद में निर्णय देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा  क संसदीय सरकार में वास्त वक कार्यपा लका शक्ति मंत्रिपरिषद में है। 42, 44 वें संशोधन से पूर्व अनु 74 का पाठ था  क एक मंत्रिपरिषद प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में होगी जो  क राष्ट्रपति को सलाह सहायता देगी। इस अनुच्छेद में यह नहीं कहा गया था  क वह इस सलाह को मानने हेतु बाध्य होगा या नही। केवल अंग्रेजी पंरपरा के अनुसार माना जाता था  क वह बाध्य है। 42 वे संशोधन द्वारा अनु 74 का पाठ बदल दिया गया राष्ट्रपति सलाह के अनुरूप काम करने को बाध्य माना गया। 44वें संशोधन द्वारा अनु 74 में  फर बदलाव  कया गया। अब राष्ट्रपति दी गयी सलाह को पुर्न वचार हेतु लौटा सकता है  कंतु उसे उस सलाह के अनुरूप काम करना होगा जो उसे दूसरी बार  मली हो।

राज्यसभा

राज्य सभा भारतीय संसद की ऊपरी प्रतिनि ध सभा है। लोकसभा निचली प्रतिनि ध सभा है। राज्यसभा में २४५ सदस्य होते हैं। जिनमे १२ सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नामां कत होते हैं। इन्हें 'ना मत सदस्य' कहा जाता है। अन्य सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा में सदस्य ६ साल के  लए चुने जाते हैं, जिनमे एक-तिहाई सदस्य हर २ साल में सेवा-निवृत होते हैं।

कसी भी संघीय शासन में संघीय  वधायिका का ऊपरी भाग संवैधानिक बाध्यता के चलते राज्य हितों की संघीय स्तर पर रक्षा करने वाला बनाया जाता है। इसी  सद्धांत के चलते राज्य सभा का गठन हुआ है। इसी कारण राज्य सभा को सदनों की समानता के रूप में देखा जाता है जिसका गठन ही संसद के द् वतीय सदन के रूप में हुआ है। राज्यसभा का गठन एक पुनरीक्षण सदन के रूप में हुआ है जो लोकसभा द्वारा पास  कये गये प्रस्तावों की पुनरीक्षा करे। यह मंत्रिपरिषद में  वशेषज्ञों की कमी भी पूरी कर सकती है क्यों क कम से कम 12  वशेषज्ञ तो इस में मनोनीत होते ही हैं। आपातकाल लगाने वाले सभी प्रस्ताव जो राष्ट्रपति के सामने जाते हैं, राज्य सभा द्वारा भी पास होने चाहिये। जुलाई 2018 से, राज्यसभा सांसद सदन में 22 भारतीय भाषाओं में भाषण कर सकते हैं क्यों क ऊपरी सदन में सभी 22 भारतीय भाषाओं में एक साथ व्याख्या की सु वधा है।[5] राज्यसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को हुआ था।

पृष्ठभू म[स्रोत सम्पादित करें]

---

राज्य सभा मोन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड प्रतिवेदन से हुआ। भारत सरकार अ धनियम, 1919 में तत्कालीन  वधानमंडल के द् वतीय सदन के तौर पर काठं सल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का उप सी मत था और जो वस्तुत: 1921 में अस्तित्व में आया। गवर्नर-जनरल तत्कालीन काठं सल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। भारत सरकार अ धनियम, 1935 के माध्यम से इसके गठन में शायद ही कोई परिवर्तन  कए गए।

सं वधान सभा, जिसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई थी, ने भी 1950 तक केन्द्रीय  वधानमंडल के रूप में कार्य  कया,  फर इसे 'अनंतिम संसद' के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस अव ध के दौरान, केन्द्रीय  वधानमंडल जिसे 'सं वधान सभा' ( वधायी) और आगे चलकर 'अनंतिम संसद' कहा गया, 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक, एक-सदनी रहा।

स्वतंत्र भारत में द् वतीय सदन की उपयो गता अथवा अनुपयो गता के संबंध में सं वधान सभा में  वस्तृत बहस हुई और अन्तत: स्वतंत्र भारत के  लए एक द् वसदनी  वधानमंडल बनाने का निर्णय मुख्य रूप से इस लए  कया गया क्यों क परिसंघीय प्रणाली को अपार  व वधताओं वाले इतने  वशाल देश के  लए सर्वा धक सहज स्वरूप की सरकार माना गया। वस्तुत:, एक प्रत्यक्ष रूप से निर्वा चत एकल सभा को स्वतंत्र भारत के समक्ष आने वाली चुनौतियों का सामना करने के  लए अपर्याप्त समझा गया। अत:, 'काठं सल ऑफ

स्टेट्स' के रूप में ज्ञात एक ऐसे द् वतीय सदन का सृजन कया गया जिसकी संरचना और निर्वाचन पद्धति प्रत्यक्षत: निर्वा चत लोक सभा से पूर्णत: भन्न थी। इसे एक ऐसा अन्य सदन समझा गया, जिसकी सदस्य संख्या लोक सभा (हाउस ऑफ पीपुल) से कम है। इसका आशय परिसंघीय सदन अर्थात् एक ऐसी सभा से था जिसका निर्वाचन राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों की सभाओं के निर्वा चत सदस्यों द्वारा कया गया, जिनमें राज्यों को समान प्रतिनि धत्व नहीं दिया गया। निर्वा चत सदस्यों के अलावा, राष्ट्रपति द्वारा सभा के लए बारह सदस्यों के नामनिर्देशन का भी उपबंध कया गया। इसकी सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु तीस वर्ष नियत की गई जब क निचले सदन के लए यह पच्चीस वर्ष है। काउं सल ऑफ स्टेट्स की सभा में गरिमा और प्रतिष्ठा के अवयव संयोजित कए गए। ऐसा भारत के उपराष्ट्रपति को राज्य सभा का पदेन सभापति बनाकर कया गया, जो इसकी बैठकों का सभापतित्व करते हैं।

संरचना/संख्या

---

सं वधान के अनुच्छेद 80 में राज्य सभा के सदस्यों की अ धकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है, जिनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दे शत कए जाते हैं और 238 सदस्य राज्यों के और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनि ध होते हैं। तथा प, राज्य सभा के सदस्यों की वर्तमान संख्या 245 है, जिनमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यक्षेत्र दिल्ली तथा पुडुचेरी के प्रतिनि ध हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दे शत हैं। राष्ट्रपति द्वारा

नामनिर्दे शत  कए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें साहित्य,  वज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे  वषयों के संबंध में  वशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है।

स्थानों का आवंटन

सं वधान की चौथी अनुसूची में राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्थानों के आवंटन का उपबंध है। स्थानों का आवंटन प्रत्येक राज्य की जनसंख्या के आधार पर  कया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन तथा नए राज्यों के गठन के परिणामस्वरूप, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित राज्य सभा में निर्वा चत स्थानों की संख्या वर्ष 1972 से लेकर अब तक समय-समय पर बदलती रही है।

पात्रता **(Eligibility)**

सं वधान के अनुच्छेद 84 में संसद की सदस्यता के  लए अर्हताएं निर्धारित की गई हैं। राज्य सभा की सदस्यता के  लए  कसी व्यक्ति के पास निम्न ल खत अर्हताएं होनी चाहिए:

(क) उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और निर्वाचन आयोग द्वारा इस नि मत्त प्रा धकृत  कसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के  लए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेना चाहिए या प्रतिज्ञान करना चाहिए और उस पर अपने हस्ताक्षर करने चाहिए;

(ख) उसे कम से कम तीस वर्ष की आयु का होना चाहिए;

(ग) उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो संसद द्वारा बनाई गई कसी व ध द्वारा या उसके अधीन इस नि मत्त वहित की जाएं।

निरर्हताएं

सं वधान के अनुच्छेद 102 में यह निर्धारित कया गया है क कोई व्यक्ति संसद के कसी सदन का सदस्य चुने जाने के लए और सदस्य होने के लए निरर्हित होगा-

(क) यदि वह भारत सरकार के या कसी राज्य की सरकार के अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसको धारण करने वाले का निरर्हित न होना संसद ने व ध द्वारा घो षत कया है, कोई लाभ का पद धारण करता है;

(ख) यदि वह वकृत चत है और सक्षम न्यायालय की ऐसी घोषणा वद्यमान है;

(ग) यदि वह अनुन्मो चत दिवा लया है;

(घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या उसने कसी वदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली हे या वह कसी वदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अ भस्वीकार कए हुए हैं;

(ड.) यदि वह संसद द्वारा बनाई गई कसी व ध द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निरर्हित कर दिया जाता है।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनों के लए, कोई व्यक्ति केवल इस कारण भारत सरकार के या कसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा

जाएगा  क वह संघ का या ऐसे राज्य का मंत्री है। इसके अतिरिक्त, सं वधान की दसवीं अनुसूची में दल-परिवर्तन के आधार पर सदस्यों की निरर्हता के बारे में उपबंध  कया गया है। दसवीं अनुसूची के उपबंधों के अनुसार, कोई सदस्य एक सदस्य के रूप में उस दशा में निरर्हित होगा, यदि वह स्वेच्छा से अपने राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है; या वह ऐसे राजनीतिक दल द्वारा, जिसका वह सदस्य है, दिए गए  कसी निदेश के  वरुद्ध सदन में मतदान करता है या मतदान करने से  वरत रहता है और ऐसे मतदान या मतदान करने से  वरत रहने को उस राजनीतिक दल द्वारा पन्द्रह दिन के भीतर माफ नहीं  कया गया है। निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वा चत सदस्य निरर्हित होगा यदि वह अपने निर्वाचन के पश्चात्  कसी राजनीतिक दल में सम्मि लत हो जाता है। तथा प, राष्ट्रपति द्वारा सदन के  कसी नामनिर्दे शत सदस्य को  कसी राजनीतिक दल में सम्मि लत होने की अनुमति होगी यदि वह सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के पहले छह मास के भीतर ऐसा करता/करती है।  कसी सदस्य को इस आधार पर निरर्हित नहीं  कया जाएगा यदि वह राज्य सभा का उप-सभापति निर्वा चत होने के पश्चात् अपने राजनीतिक दल की सदस्यता स्वेच्छा से छोड़ देता/देती है।

निर्वाचन/नामनिर्देशन की प्र क्रया

---

राज्य सभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनि धयों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा  कया जाता है। प्रत्येक राज्य तथा तीन* संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनि धयों का निर्वाचन उस राज्य की  वधान सभा के निर्वा चत सदस्यों तथा उस संघ राज्य क्षेत्र

के निर्वाचक मंडल के सदस्यों, जैसा भी मामला हो, द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनि धत्व प्रणाली के अनुसार कया जाता है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में दिल्ली वधान सभा के निर्वा चत सदस्य और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र के निर्वाचक मंडल में पुडुचेरी वधान सभा के निर्वा चत सदस्य शा मल हैं।

द् व-वा र्षक/उप-चुनाव

राज्य सभा एक स्थायी सदन है और यह भंग नहीं होता। तथा प, प्रत्येक दो वर्ष बाद राज्य सभा के एक-तिहाई सदस्य सेवा-निवृत्त हो जाते हैं। पूर्णका लक अव ध के लए निर्वा चत सदस्य छह वर्षों की अव ध के लए कार्य करता है। कसी सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति पर सेवानिवृत्ति को छोड़कर अन्यथा उत्पन्न हुई रिक्ति को भरने के लए कराया गया निर्वाचन 'उप-चुनाव' कहलाता है। उप-चुनाव में निर्वा चत कोई सदस्य उस सदस्य की शेष कार्याव ध तक सदस्य बना रह सकता है जिसने त्यागपत्र दे दिया था या जिसकी मृत्यु हो गई थी या जो दसवीं अनुसूची के अधीन सभा का सदस्य होने के लए निरर्हित हो गया था।

राज्य सभा का संघीय स्वरूप

1. राज्य सभा का गठन ही राज्य परिषद के रूप में सं वधान के संघीय स्वरूप का प्रतिनि धत्व देने के लये हुआ था

2. राज्य सभा के सद्स्य मन्त्री परिषद के सदस्य बन सकते है जिससे संघीय स्तर पर निर्णय लेने में राज्य का प्रतिनि धत्व होगा
3. राष्ट्रपति के निर्वाचन तथा महा भयोग तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में समान रूप से भाग लेती है
4. अनु 249,312 भी राज्य सभा के संघीय स्वरूप तथा राज्यॉ के संरक्षक रूप में उभारते है
5. सभी सं वधान संशोधन बिल भी इस के द्वारा पृथक सभा कर तथा 2/3 बहुमत से पास होंगे
6. संसद की स्वीकृति चाहने वाले सभी प्रस्ताव जो क आपातकाल से जुडे हो भी राज्यसभा द्वारा पारित होंगे

राज्य सभा के गैर संघीय तत्त्व

1. संघीय क्षेत्रों को भी राज्य सभा में प्रतिनि धत्व मलता है जिससे इसका स्वरूप गैर संघीय हो जाता है
2. राज्यों का प्रतिनि धत्व राज्यों की समानता के आधार पर नहीं है जैसा क अमेरिका में है। वहाँ प्रत्येक राज्य को

   सीनेट में दो स्थान मलते है कंतु भारत में स्थानॉ का आवंटन आबादी के आधार पर कया गया है

3. राज्य सभा में मनोनीत सद्स्यों का प्रावधान है

पीठासीन अ धकारीगण-सभापति और उपसभापति

---

राज्य सभा के पीठासीन अ धकारियों की यह जिम्मेदारी होती है क वे सभा की कार्यवाही का संचालन करें। भारत के राज्य सभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति हैं। राज्य सभा के सदस्यों के वपरीत राज्यसभा के सभापति का कार्यकाल ५ वर्षों का ही होता है, राज्य सभा अपने सदस्यों में से एक उपसभापति का भी चयन करती है। राज्य सभा में उपसभाध्यक्षों का एक पैनल भी होता है, जिसके सदस्यों का नामनिर्देशन सभापति, राज्य सभा द्वारा कया जाता है। सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में, उपसभाध्यक्षों के पैनल से एक सदस्य सभा की कार्यवाही का सभापतित्व करता है। लोक सभा के वपरीत राज्यसभा का सभापति अपना इस्तिफा उपसभापति को नहीं बल्कि राष्ट्रपति को देता है।

महास चव

महास चव की नियुक्ति राज्य सभा के सभापति द्वारा की जाती है और उनका रैंक संघ के सर्वोच्च स वल सेवक के समतुल्य होता है। महास चव गुमनाम रह कर कार्य करते हैं और संसदीय मामलों पर सलाह देने के लए तत्परता से पीठासीन अ धकारियों को उपलब्ध रहते हैं। महास चव राज्य सभा स चवालय के प्रशासनिक प्रमुख और सभा के अ भलेखों के संरक्षक भी हैं। वह राज्य सभा के सभापति के निदेश व नियंत्रणाधीन कार्य करते हैं। राज्यसभा तथा लोकसभा के बीच सम्बन्ध सं वधान के अनुच्छेद 75 (3) के अधीन, मंत्री

परिषद् सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति जिम्मेदार होती है जिसका आशय यह है क राज्य सभा सरकार को बना या गरा नहीं सकती है। तथा प, यह सरकार पर नियंत्रण रख सकती है और यह कार्य वशेष रूप से उस समय बहुत महत्त्वपूर्ण हो जाता है जब सरकार को राज्य सभा में बहुमत प्राप्त नहीं होता है।

कसी सामान्य वधान की दशा में, दोनों सभाओं के बीच गतिरोध दूर करने के लए, सं वधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का उपबंध है। वस्तुत:, अतीत में ऐसे तीन अवसर आए हैं जब संसद की सभाओं की उनके बीच मतभेदों को सुलझाने के लए संयुक्त बैठक हुई थी। संयुक्त बैठक में उठाये जाने वाले मुद्दों का निर्णय दोनों सभाओं में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत से कया जाता है। संयुक्त बैठक संसद भवन के केन्द्रीय कक्ष में आयोजित की जाती है जिसकी अध्यक्षता लोकसभाध्यक्ष द्वारा की जाती है। तथा प, धन वधेयक की दशा में, सं वधान में दोनों सभाओं की संयुक्त बैठक बुलाने का कोई उपबंध नहीं है, क्यों क लोक सभा को वत्तीय मामलों में राज्य सभा की तुलना में प्रमुखता हा सल है। सं वधान संशोधन वधेयक के संबंध में, सं वधान में यह उपबंध कया गया है क ऐसे वधेयक को दोनों सभाओं द्वारा, सं वधान के अनुच्छेद 368 के अधीन वहित रूप में, व शष्ट बहुमत से पारित कया जाना होता है। अत:, सं वधान संशोधन वधेयक के संबंध में दोनों सभाओं के बीच गतिरोध को दूर करने का कोई उपबंध नहीं है।

मंत्री संसद की  कसी भी सभा से हो सकते हैं। इस संबंध में सं वधान सभाओं के बीच कोई भेद नहीं करता है। प्रत्येक मंत्री को  कसी भी सभा में बोलने और उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अ धकार होता है, ले कन वह उसी सभा में मत देने का हकदार होता है जिसका वह सदस्य होता है।

इसी प्रकार, संसद की सभाओं, उनके सदस्यों और उनकी स मतियों की शक्तियों, वशेषा धकारों और उन्मुक्तियों के संबंध में, दोनों सभाओं को सं वधान द्वारा बिल्कुल समान धरातल पर रखा गया है। जिन अन्य महत्त्वपूर्ण  वषयों के संबंध में दोनों सभाओं को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं वे इस प्रकार हैं:- राष्ट्रपति का निर्वाचन तथा महा भयोग, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, आपातकाल की उद्घोषणा का अनुमोदन, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की  वफलता से संबं धत उद्घोषणा और  वत्तीय आपातकाल।  व भन्न संवैधानिक प्रा धकरणों आदि से प्रतिवेदन तथा पत्र प्राप्त करने के संबंध में, दोनों सभाओं को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

इस प्रकार, यह स्पष्ट है  क मंत्री-परिषद् की सामूहिक जिम्मेदारी के मामले और कुछ ऐसे वत्तीय मामले, जो  सर्फ लोक सभा के क्षेत्रा धकार में आते हैं, के  सवाए दोनों सभाओं को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं।

## राज्य सभा की  वशेष शक्तियाँ

एक परिसंघीय सदन होने के नाते राज्य सभा को सं वधान के अधीन कुछ  वशेष शक्तियाँ प्राप्त हैं। राज्यसभा के पास तीन  वशेष शक्तियाँ होती है

1. अनु. 249 के अंतर्गत राज्य सूची के  वषय पर 1 वर्ष का बिल बनाने का हक
2. अनु. 312 के अंतर्गत नवीन अ खल भारतीय सेवा का गठन 2/3 बहुमत से करना
3. अनु. 67 ब उपराष्ट्रपति को हटाने वाला प्रस्ताव राज्यसभा में ही लाया जा सकेगा

 वधान से संबं धत सभी  वषयों/क्षेत्रों को तीन सू चयों में  वभाजित  कया गया है- संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ और राज्य सू चयां परस्पर अपवर्जित हैं- कोई भी दूसरे के क्षेत्र में रखे गए  वषय पर कानून नहीं बना सकता। तथा प, यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह कहते हुए एक संकल्प पारित करती है  क यह "राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन" है  क संसद, राज्य सूची में प्रमा णत  कसी  वषय पर  व ध बनाए, तो संसद भारत के संपूर्ण राज्य-क्षेत्र या उसके  कसी भाग के  लए उस संकल्प में  वनिर्दिष्ट  वषय पर  व ध बनाने हेतु अ धकार-संपन्न हो जाती है। ऐसा संकल्प अ धकतम एक वर्ष की अव ध के  लए प्रवृत्त रहेगा परन्तु यह अव ध इसी प्रकार के संकल्प को पारित करके एक वर्ष के  लए पुन: बढ़ायी जा सकती है।

यदि राज्य सभा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों में से कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के बहुमत द्वारा यह घो षत करते हुए एक संकल्प पारित करती है क संघ और राज्यों के लए सम्मि लत एक या अ धक अ खल भारतीय सेवाओं का सृजन कया जाना राष्ट्रीय हित में आवश्यक या समीचीन है, तो संसद व ध द्वारा ऐसी सेवाओं का सृजन करने के लए अ धकार-संपन्न हो जाती है।

सं वधान के अधीन, राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात की स्थिति में, कसी राज्य में संवैधानिक तंत्र के वफल हो जाने की स्थिति में अथवा वत्तीय आपात की स्थिति में उद्घोषणा जारी करने का अ धकार है। ऐसी प्रत्येक उद्घोषणा को संसद की दोनों सभाओं द्वारा नियत अव ध के भीतर अनुमोदित कया जाना अनिवार्य है। तथा प, कतिपय परिस्थितियों में राज्य सभा के पास इस संबंध में वशेष शक्तियाँ हैं। यदि कोई उद्घोषणा उस समय की जाती है जब लोक सभा का वघटन हो गया है अथवा लोक सभा का वघटन इसके अनुमोदन के लए अनुज्ञात अव ध के भीतर हो जाता है और यदि इसे अनुमोदित करने वाला संकल्प राज्य सभा द्वारा अनुच्छेद 352, 356 और 360 के अधीन सं वधान में वनिर्दिष्ट अव ध के भीतर पारित कर दिया जाता है, तब वह उद्घोषणा प्रभावी रहेगी।

लोक सभा

लोकसभा, संवैधानिक रूप से लोगों का सदन, भारत की द् वसदनीय संसद का निचला सदन है, जिसमें उच्च सदन राज्य सभा है। लोकसभा के सदस्य अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनि धत्व करने के लए एक वयस्क सार्वभौ मक मता धकार और एक सरल

बहुमत प्रणाली द्वारा चुने जाते हैं, और वे पांच साल तक या जब तक राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद् की सलाह पर सदन को भंग नहीं कर देते, तब तक वे अपनी सीटों पर बने रहते हैं। सदन संसद भवन, नई दिल्ली के लोकसभा कक्ष में मलता है।

भारत के सं वधान द्वारा आवंटित सदन की अ धकतम सदस्यता 552 है (शुरुआत में, 1950 में, यह 500 थी)। वर्तमान में, सदन में 543 सीटें हैं जो अ धकतम 543 निर्वा चत सदस्यों के चुनाव से बनती हैं। 1952 और 2020 के बीच, भारत सरकार की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो-इं डयन समुदाय के 2 अतिरिक्त सदस्यों को भी ना मत कया गया था, जिसे 104वें सं वधान संशोधन अ धनियम, 2019 द्वारा जनवरी 2020 में समाप्त कर दिया गया था।

कुल 131 सीटें (24.03%) अनुसू चत जाति (84) और अनुसू चत जनजाति (47) के प्रतिनि धयों के लए आर क्षत हैं। सदन के लए कोरम कुल सदस्यता का 10% है। लोकसभा, जब तक क जल्द ही भंग न हो जाए, अपनी पहली बैठक के लए नियत तारीख से पांच साल तक काम करना जारी रखती है। हालाँ क, जब आपातकाल की घोषणा लागू होती है, तो इस अव ध को संसद द्वारा कानून या डक्री द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय जनगणना के आधार पर हर दशक में भारत के सीमा परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फर से तैयार करने का एक अभ्यास कया जाता है, जिसमें से आ खरी बार 2011 में आयोजित कया गया था। इस अभ्यास में पहले जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का पुन र्वतरण भी शा मल

था ले कन वह परिवार नियोजन कार्यक्रम को प्रोत्साहित करने के  लए एक संवैधानिक संशोधन के बाद 1976 में आयोग के जनादेश के प्रावधान को निलंबित कर दिया गया था, जिसे लागू  कया जा रहा था। 17वीं लोकसभा मई 2019 में चुनी गई थी और यह अब तक की नवीनतम है।

भारतीय संसद का अपना टेली वजन चैनल, संसद टीवी है, जिसका मुख्यालय संसद परिसर में है।

## इतिहास

प्रथम लोक सभा 1952 पहले आम चुनाव होने के बाद देश को अपनी पहली लोक सभा  मली। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 364 सीटों के साथ जीत हा सल करके सत्ता में पहुँची। इसके साथ ही जवाहर लाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लगभग 45 प्रतिशत मत  मले।

## राज्यों के अनुसार सीटों की संख्या

भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा-सदस्य  मलते है। वर्तमान मे यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या वर्ष 2026 मे निर्धारित  कया जायेगा। इससे पहले प्रत्येक दशक की जनगणना के आधार पर सदस्य स्थान निर्धारित होते थे। यह कार्य बकायदा 84वें सं वधान

संशोधन(2001) से कया गया था ता क राज्य अपनी आबादी के आधार पर ज्यादा से ज्यादा स्थान प्राप्त करने का प्रयास नही करें।

वर्तमान परिपेक्ष्य में राज्यों की जनसंख्या के अनुसार वतरित सीटों की संख्या के अनुसार उत्तर भारत का प्रतिनि धत्व, द क्षण भारत के मुकाबले काफी कम है। जहां द क्षण के चार राज्यों, त मलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल को जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का सर्फ 21% है, को 129 लोक सभा की सीटें आवंटित की गयी हैं जब क, सबसे अ धक जनसंख्या वाले हिन्दी भाषी राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार जिनकी संयुक्त जनसंख्या देश की जनसंख्या का 25.1% है के खाते में सर्फ 120 सीटें ही आती हैं।[11] वर्तमान में अध्यक्ष और आंग्ल-भारतीय समुदाय के दो मनोनीत सदस्यों को मलाकर, सदन की सदस्य संख्या 545 है।

लोक सभा की सीटें निम्नानुसार **29** राज्यों और **7** केन्द्र शा सत प्रदेशों के बीच वभाजित है:

| उप वभाजन | प्रकार | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह | केन्द्र शा सत प्रदेश | 1 |
| आन्ध्र प्रदेश | राज्य | 25 |
| राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली | केन्द्र शा सत प्रदेश | 7 |
| अरुणाचल प्रदेश | राज्य | 2 |
| असम | राज्य | 14 |
| बिहार | राज्य | 40 |
| चंडीगढ | केन्द्र शा सत प्रदेश | 1 |
| छत्तीसगढ | राज्य | 11 |
| दादरा और नगर हवेली | केन्द्र शा सत प्रदेश | 1 |
| दमन और दीव | केन्द्र शा सत प्रदेश | 1 |

| उप वभाजन | प्रकार | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| गोवा | राज्य | 1 |
| गुजरात | राज्य | 26 |
| हरियाणा | राज्य | 10 |
| हिमाचल प्रदेश | राज्य | 4 |
| जम्मू और कश्मीर | केन्द्र शा सत प्रदेश | 6 |
| झारखंड | राज्य | 14 |
| कर्नाटक | राज्य | 28 |
| केरल | राज्य | 20 |
| लक्षद्वीप | केन्द्र शा सत प्रदेश | 1 |
| मध्य प्रदेश | राज्य | 29 |

| उप वभाजन | प्रकार | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| महाराष्ट्र | राज्य | 48 |
| म णपुर | राज्य | 2 |
| मेघालय | राज्य | |
| नागालैंड | राज्य | 1 |
| उडीसा | राज्य | 21 |
| पुदुच्चेरी | केन्द्र शा सत प्रदेश | 1 |
| पंजाब | राज्य | 13 |
| राजस्थान | राज्य | 25 |
| सक्किम | राज्य | 1 |
| त मल नाडु | राज्य | 39 |

| उप वभाजन | प्रकार | निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| त्रिपुरा | राज्य | 2 |
| उत्तराखंड | राज्य | 5 |
| उत्तर प्रदेश | राज्य | 80 |
| पश्चिम बंगाल | राज्य | 42 |
| तेलंगाना | राज्य | 17 |

आंग्ल-भारतीय- **2** [अगर राष्ट्रपति मनोनीत करे (सं वधान के अनुच्छेद **331** के तहत)]

लोकसभा सीट का परिसीमन

---

वर्तमान जानकारी के अनुसार 2026 मे भारतीय लोकसभा सीट के परिसीमन की प्र क्रया प्रारम्भ हो जाएगी। आकलन के अनुसार परिसीमन के बाद लोकसभा की सीट में 78 सीट की बढ़ोतरी हो सकती हैं। परिसीमन के बाद त मलनाडु में 9, केरल को 6, कर्नाटक को 2, आंध्र प्रदेश को 5 तेलंगाना को 2, ओ डशा को 3, गुजरात को 6, उत्तर प्रदेश में 14, बिहार में 11, छत्तीसगढ़ में 1, मध्य प्रदेश में 5, झारखंड में 1, राजस्थान में 7 और हरियाणा तथा महाराष्ट्र में 2-2 सीटों के इजाफा होने की संभावना है।

## लोक सभा का कार्यकाल

यदि समय से पहले भंग ना  कया जाये तो, लोक सभा का कार्यकाल अपनी पहली बैठक से लेकर अगले पाँच वर्ष तक होता है उसके बाद यह स्वत: भंग हो जाती है। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान यदि *आपातकाल की घोषणा* की जाती है तो संसद को इसका कार्यकाल कानून के द्वारा एक समय में अ धकतम एक वर्ष तक बढ़ाने का अ धकार है, जब क आपातकाल की घोषणा समाप्त होने की स्थिति में इसे  कसी भी परिस्थिति में छ: महीने से अ धक नहीं बढ़ाया जा सकता।

## लोकसभा की  वशेष शक्तियाँ

1. मंत्री परिषद केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अ वश्वास प्रस्ताव सरकार के वरूद्ध केवल यहीं लाया जा सकता है।
2. धन बिल पारित करने मे यह निर्णायक सदन है।
3. राष्ट्रीय आपातकाल को जारी रखने वाला प्रस्ताव केवल लोकसभा मे लाया और पास  कया जायेगा।

## लोकसभा के पदा धकारी

### लोकसभा अध्यक्ष (स्पीकर)

लोकसभा अपने निर्वा चत सदस्यों में से एक सदस्य को अपने अध्यक्ष (स्पीकर) के रूप में चुनती है। कार्य संचालन में अध्यक्ष की सहायता उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसका

चुनाव भी लोक सभा के निर्वा चत सदस्य करते हैं। लोक सभा में कार्य संचालन का उत्तरदायित्व अध्यक्ष का होता है।वर्तमान मे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला है।

लोकसभा अध्यक्ष के दो कार्य है-

1. लोकसभा की अध्यक्षता करना एवं उस में अनुसाशन, गरिमा तथा प्रतिष्टा बनाये रखना। इस कार्य हेतु वह  कसी न्यायालय के सामने उत्तरदायी नहीं होता है।

2. वह लोकसभा से संलग्न स चवालय का प्रशासनिक अध्यक्ष होता है  कंतु इस भू मका के रूप में वह न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी होगा।

स्पीकर की  वशेष शक्तियाँ

1. दोनो सदनों का सम्मि लत सत्र बुलाने पर स्पीकर ही उसका अध्यक्ष होगा। उसके अनुउपस्थित होने पर उपस्पीकर तथा उसके भी न होने पर राज्यसभा का उपसभापति अथवा सत्र द्वारा नांमा कत कोई भी सदस्य सत्र का अध्यक्ष होता है

2. धन बिल का निर्धारण स्पीकर करता है। यदि धन बिल पे स्पीकर साक्ष्यां कत नहीं करता तो उस बिल को धन बिल नहीं माना जायेगा। स्पीकर का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होता है।

3. सभी संसदीय स मतियाँ उसकी अधीनता में काम करती हैं। उसके  कसी स मति का सदस्य चुने जाने पर वह उसका पदेन अध्यक्ष होगा

4. लोकसभा के  वघटन होने पर भी स्पीकर पद पर कार्य करता रहता है। नवीन लोकसभा के चुने जाने पर ही वह अपना पद छोड़ता है।

मंत्रिपरिषद

भारत में संसदीय प्रणाली को ब्रिटिश सं वधान से  लया गया है| मंत्रिपरिषद,भारतीय राजनीतिक प्रणाली की वास्त वक कार्यकारी संस्था है जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री के हाथों में होता है| हमारे सं वधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख  कया गया है जब क अनुच्छेद 75 मंत्रियों की नियुक्ति, उनके कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ, योग्यता और मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते से संबं धत है।

मंत्रिपरिषद का गठन राष्ट्रपति की मदद करने एवं सलाह देने के  लए  कया गया है जो मंत्रिपरिषद द्वारा प्रस्तुत सूचना के आधार पर काम करता है| राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा दिए गए सलाह को भारत की  कसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है|

## *मंत्रिपरिषद से संबं धत अनुच्छेद*

अनुच्छेद **74**: राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के  लए मंत्रिपरिषद का गठन।

अनुच्छेद  **75:** राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेंगें।

अनुच्छेद **77:** भारत सरकार के कार्यों का संचालन।

अनुच्छेद **78:** राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य।

अनुच्छेद **88:** मंत्रियों के अ धकार है।

## संसद और सरकार

भारत में प्रधानमंत्री और मंत्री संसद के सदस्य होते हैं। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री या मंत्री नियुक्त कया जाता है उसे छह मास के भीतर संसद की सदस्यता ग्रहण करनी होती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी है। संसद का कार्य वधान बनाना, मंत्रणा देना, आलोचना करना और लोगों की शकायतों को व्यक्त करना है। कार्यपा लका का कार्य संसद द्वारा पारित कए गए बिलों को क्रयान्वित करने का है।

### संसद सदस्यों का चुनाव

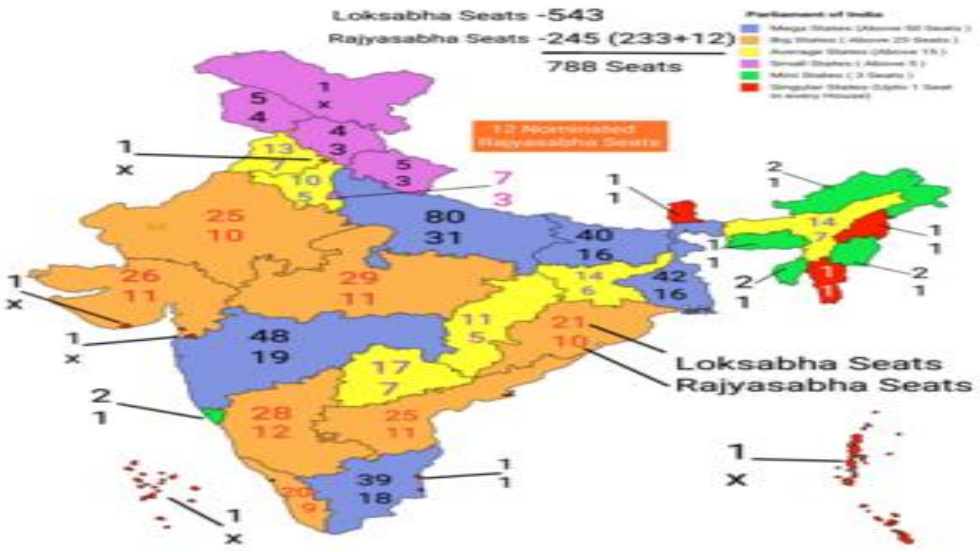

प्रत्येक राज्य व प्रदेश में संसदीय आसनों की संख्या

भारत जैसे बड़े और भारी जनसंख्या वाले देश में चुनाव कराना एक बहुत बड़ा काम है। संसद के दोनों सदनों- लोकसभा और राज्यसभा- के लए चुनाव बेरोकटोक और निष्पक्ष हों, इसके लए एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग बनाया गया है। लोक सभा के लए सामान्य चुनाव जब उसकी कार्यव ध समाप्त होने वाली हो या उसके भंग कए जाने पर कराए जाते हैं। भारत का प्रत्येक नागरिक जो 18 वर्ष का या उससे अ धक हो मतदान का अ धकारी है।

राज्यसभा के सदस्य राज्यों के लोगों का प्रतिनि धत्व करते हैं। इनका चुनाव राज्य की वधान सभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा होता है। राज्यसभा में स्थान भरने के लए राष्ट्रपति, चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई तारीख को, अ धसूचना जारी करता है। जिस ति थ को सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों की पदाव ध समाप्त होनी हो उससे तीन मास से अ धक समय से पूर्व ऐसी अ धसूचना जारी नहीं की जाती। चुनाव अ धकारी, चुनाव आयोग के अनुमोदन से मतदान का स्थान निर्धारित और अ धसू चत करता है।

नयी लोक सभा के चुनाव के लए राष्ट्रपति, राजपत्र में प्रका शत अ धसूचना द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा सुझाई गई ति थ को, सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से सदस्य चुनने के लए कहता है। अ धसूचना जारी कए जाने के पश्चात चुनाव आयोग नामांकन पत्र दायर करने, उनकी छानबीन करने, उन्हें वापस लेने और मतदान के लए ति थयां निर्धारित करता है। लोक सभा के लए प्रत्यक्ष चुनाव होने के कारण भारत के राज्य क्षेत्र को उपयुक्त प्रादे शक

निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है।

पात्रता

लोकसभा का चुनाव लड़ने के  लए कम से कम आयु 25 वर्ष है और राज्यसभा के  लए 30 वर्ष। यदि एक सदन का कोई सदस्य दूसरे सदन के  लए भी चुन  लया जाता है तो पहले सदन में उसका स्थान उस ति थ से खाली हो जाता है जब वह अन्य सदन के  लए चुना गया हो। इसी प्रकार, यदि वह  कसी राज्य  वधानमंडल के सदस्य के रूप में भी चुन  लया जाता है तो, यदि वह राज्य  वधानमंडल में अपने स्थान से, राज्य के राजपत्र में घोषणा के प्रकाशन से 14 दिनों के भीतर, त्यागपत्र नहीं दे देता तो, संसद का सदस्य नहीं रहता। यदि कोई सदस्य, सदन की अनुमति के बिना 60 दिन की अव ध तक सदन की  कसी बैठक में उपस्थित नहीं होता तो वह सदन उसके स्थान को रिक्त घो षत कर सकता है। इसके अलावा,  कसी सदस्य को सदन में अपना स्थान रिक्त करना पड़ता है यदि:

- वह कोई लाभ का पद धारण करता है,
- उसे  वकृत  चत्त वाला व्यक्ति या दिवा लया घो षत कर दिया जाता है,
- वह स्वेच्छा से  कसी  वदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है,
- उसका निर्वाचन न्यायालय द्वारा शून्य घो षत कर दिया जाता है,
- वह सदन द्वारा निष्कासन का प्रस्ताव स्वीकृत  कए जाने पर निष्का सत कर दिया जाता है या

- वह राष्ट्रपति या  कसी राज्य का राज्यपाल चुन  लया जाता है।

यदि  कसी सदस्य को भारतीय सं वधान की दसवीं अनुसूची के उपबंधो के अंतर्गत दल-बदल के आधार पर अयोग्य  सद्ध कर दिया गया हो, तो उस स्थिति में भी उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है।

## चुनाव संबंधी  ववाद

संसद के या  कसी राज्य  वधानमंडल के  कसी सदन के  लए हुए  कसी चुनाव को चुनौती उच्च-न्यायालय में दी जा सकती है। या चका चुनाव के दौरान कोई भ्रष्ट प्र क्रया अपनाने के कारण पेश की जा सकती है। यदि  सद्ध हो जाए तो उच्च न्यायालय को यह शक्ति प्राप्त है  क वह सफल उम्मीदवार का चुनाव शून्य घो षत कर दे। प्रभा वत पक्ष को उच्च न्यायालय के आदेश के  वरूद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का अ धकार है।

## संसद के सत्र और बैठकें

लोक सभा प्रत्येक आम चुनाव के बाद चुनाव आयोग द्वारा अ धसूचना जारी  कए जाने पर गठित होती है। लोक सभा की पहली बैठक शपथ  व ध के साथ शुरू होती है। इसके नव निर्वा चत सदस्य 'भारत के सं वधान के प्रति श्रद्धा और निष्ठा रखने के  लए', 'भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखने के  लए' और 'संसद सदस्य के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करने के  लए' शपथ लेते हैं।

## राष्ट्रपति द्वारा आमंत्रण

राष्ट्रपति समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को बैठक के  लए आमंत्रित करता है। प्रत्येक अ धवेशन की अंतिम ति थ के बाद राष्ट्रपति को छह मास के भीतर आगामी अ धवेशन के  लए सदनों को बैठक के  लए आमंत्रित करना होता है। यद्य प सदनों को बैठक के  लए आमंत्रित करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है तथा प व्यवहार में इस आशय के प्रस्ताव की पहल सरकार द्वारा की जाती है।

## संसद के सत्र

सामान्यतः प्रतिवर्ष संसद के तीन सत्र या अ धवेशन होते हैं। यथा बजट अ धवेशन (फरवरी-मई), मानसून अ धवेशन (जुलाई-अगस्त) और शीतकालीन अ धवेशन (नवंबर-दिसंबर)।  कंतु, राज्यसभा के मामले में, बजट के अ धवेशन को दो अ धवेशनों में  वभाजित कर दिया जाता है। इन दो अ धवेशनों के बीच तीन से चार सप्ताह का अवकाश होता है। इस प्रकार राज्यसभा के एक वर्ष में चार अ धवेशन होते हैं।

## राष्ट्रपति का अ भभाषण

नव निर्वा चत सदस्यों की शपथ के बाद अध्यक्ष का चुनाव होता है। इसके बाद, राष्ट्रपति संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में एक साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष अ भभाषण करता है। राष्ट्रपति का अ भभाषण बहुत महत्वपूर्ण अवसर होता है। अ भभाषण में ऐसी नीतियों

एवं कार्यक्रमों का  ववरण होता है जिन्हें आगामी वर्ष में कार्यरूप देने का  वचार हो। साथ ही, पहले वर्ष की उसकी गति व धयों और सफलताओं की समीक्षा भी दी जाती है। वह अ भभाषण चूं क सरकार की नीति का  ववरण होता है अंत: सरकार द्वारा तैयार  कया जाता है। अ भभाषण पर चर्चा बहुत व्यापक रूप से होती है। धन्यवाद प्रस्ताव के संशोधनों के द्वारा उन मामलों पर भी चर्चा हो सकती है जिनका अ भभाषण में  वशेष रूप से उल्लेख न हो।

**अध्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव**

लोक सभा सदन के दो सदस्यों को अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। कुछ ऐसी परंपरा बनी है  क उपाध्यक्ष  वपक्ष के सदस्यों में से चुना जाता है। प्रायः यह को शश रहती है  क अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा राज्यसभा में सभापति और उपसभापति का यह काम है  क वे अपने सदन की कार्यवाही को व्यवस्थित ढंग से नियमों के अनुसार चलाएं

**कार्यक्रम और प्र क्रया**

संसदीय कार्य दो मुख्य शीर्षों में बांटा जा सकता है: सरकारी कार्य और गैर-सरकारी कार्य। सरकारी कार्य को  फर दो श्रे णयों में बांटा जा सकता है: ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत  कसी मंत्री द्वारा की जाती है, और ऐसे कार्य जिनकी शुरूआत  कसी निर्वा चत सदस्य द्वारा की जाती है जैसे प्रश्न, स्थगन प्रस्ताव, अ वलंबनीय लोक महत्व के मामलों की ओर ध्यान दिलाना,  वशेषा धकार के प्रश्न, अ वलंबनीय लोक महत्व के मामलों पर

चर्चा, मंत्रिपरिषद में अ वश्वास का प्रस्ताव, प्रश्नों के उत्तरों से उत्पन्न होने वाले मामलों पर आधे घंटे की चर्चाएं इत्यादि।

गैर-सरकारी सांसदों के कार्य, अर्थात वधेयकों और संकल्पों पर प्रत्येक शुक्रवार के दिन या कसी ऐसे दिन जो अध्यक्ष निर्धारित करे ढाई घंटे तक चर्चा की जाती है। सदन में कए जाने वाले व भन्न कार्यों के लए समय की सफारिश सामान्यतः कार्य मंत्रणा स मति द्वारा की जाती है। प्राय: हर सप्ताह एक बैठक होती है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही की छपी हुई प्रतियां सामान्यतः बैठक के बाद एक मास के अंदर उपलब्ध करा दी जाती हैं। कार्यवाही को टेप रिकार्ड कया जाता है। वाद ववाद के अ धवेशनवार छपे हुए खंड हिंदी तथा अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होते हैं।

संसद में प्रश्न पूछना

मंत्रिपरिषद अपनी प्रत्येक भूल चूक के लए संसद के प्रति और संसद के द्वारा लोगों के प्रति उत्तरदायी होती है। सदन के सदस्य इस अ धकार का प्रयोग, अन्य बातों के साथ साथ, संसदीय प्रश्नों के माध्यम से करते हैं। संसद सदस्यों को लोक महत्व के मामलों में मंत्रियों से जानकारी प्राप्त करने के लए पूछने का अ धकार होता है। जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक सदस्य का संसदीय अ धकार है। संसद सदस्य के लए लोगों के प्रतिनि ध के रूप में यह आवश्यक होता है क उसे अपनी जिम्मेदारियों के पालन के

लए मंत्रिपरिषद के क्रयाकलापों के बारे में जानकारी हो। प्रश्न पूछने का मूल उद्देश्य लोक महत्व के कसी मामले पर जानकारी प्राप्त करना और तथ्य जानना है।

दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में एक घंटे तक प्रश्न कए जाते हैं। और उनके उत्तर दिए जाते हैं। इसे ' प्रश्नकाल' कहा जाता है। इसके अतिरिक्त, खोजी और अनुपूरक प्रश्न पूछने से मंत्रियों का भी परीक्षण होता है क वे अपने वभागों के कार्यकरण को कतना समझते हैं। प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पर होने वाले कटु तर्क- वतर्क से सदन का वातावरण सामान्यतः अनिश्चित होता है। कुछ प्रश्नों का मौ खक उत्तर दिया जाता है। इन्हें तारां कत प्रश्न कहा जाता है। अतारां कत प्रश्नों का ल खत उत्तर दिया जाता है। इस काल के दौरान प्रश्नों की प्र क्रया अपेक्षतः सरल और आसान है। चूं क प्रश्नों की प्र क्रया अपेक्षतः सरल और आसान है। अत: यह संसदीय प्र क्रया के अन्य उपायों की तुलना में संसद सदस्यों में अ धका धक प्रय होती जा रही है।

शून्यकाल

संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय आमतौर पर 'शून्यकाल' अथवा जीरो आवर के नाम से जाना जाने लगा है। यह एक से अ धक अर्थों में शून्यकाल होता है। 12 बजे दोपहर का समय न तो मध्याह्न पूर्व का समय होता है और न ही मध्याह्न पश्चात का समय। 'शून्यकाल' 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इस नाम से जाना जाता है इसे 'ज़ीरो आवर' भी कहा गया क्यों क पहले 'शून्यकाल' पूरे घंटे तक चलता था, अर्थात 1 बजे दिन में सदन का दिन के भोजन के लए अवकाश होने तक।

अतः नियमों की दृष्टि से तथाक थत शून्यकाल एक अनिय मतता है। प्रश्नकाल के समाप्त होते ही सदस्यगण ऐसे मामले उठाने के लए खड़े हो जाते हैं जिनके बारे में वे महसूस करते हैं क कार्यवाही करने में देरी नहीं की जा सकती। हालाँ क इस प्रकार मामले उठाने के लए नियमों में कोई उपबंध नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है क इस प्रथा के पीछे यही वचार रहा है क ऐसे नियम जो राष्ट्रीय महत्व के मामले या लोगों की गंभीर शकायतों संबंधी मामले सदन में तुरंत उठाए जाने में सदस्यों के लए बाधक होते हैं, वे निरर्थक हैं। शून्यकाल में उठाये जाने वाले मामलों की पहले से दी गई सूचना के आधार पर, अध्यक्ष की अनुमति से, एक सूची बनती है।

संसद में जनहित के मामले

सदन लोक महत्व के व भन्न मामलों पर अनेक प्रस्ताव पारित करता है। कोई भी सदस्य एक प्रस्ताव के रूप में कोई सुझाव सदन के समक्ष रख सकता है। जिसमें उसकी राय या इच्छा दी गई हो। यदि सदन उसे स्वीकार कर लेता है तो वह समूचे सदन की राय या इच्छा बन जाती है।

प्रस्ताव वास्तव में संसदीय कार्यवाही का आधार होते हैं। लोक महत्व का कोई भी मामला कसी प्रस्ताव का वषय हो सकता है। प्रस्ताव भन्न भन्न सदस्यों द्वारा भन्न भन्न प्रयोजनों से पेश कए जा सकते हैं। प्रस्ताव मंत्रियों द्वारा पेश कए जा सकते हैं और निर्वा चत सदस्यों द्वारा भी।

## भाषा

संसद के कार्य का संचालन करने की भाषाएं हिंदी तथा अंग्रेजी हैं। कंतु पीठासीन अ धकारी ऐसे सदस्य को, जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अ भव्यक्ति नहीं कर सकता हो, अपनी मातृभाषा में संसद को संबो धत करने की अनुमति दे सकते हैं। दोनों सदनों में 12 भाषाओं को हिंदी तथा अंग्रेजी में साथ साथ भाषांतर करने की सु वधाएं उपलब्ध हैं।

## वधायिक प्र क्रया

कानून बनाना संसद का प्रमुख काम माना जाता है। इसके लए पहल अ धकांशतः कार्यपा लका द्वारा की जाती है। मंत्रिपरिषद वधायी प्रस्ताव पेश करती है। उस पर चर्चा तथा वाद ववाद के पश्चात संसद के दोनों सदन उस पर मतदान के माध्यम से अनुमोदन की अपनी मुहर लगाते है। केवल निर्वा चत सदस्यों को कसी भी बिल पर मतदान करने का अ धकार प्राप्त है, मंत्रियों को नही। सभी कानूनी प्रस्ताव वधेयक के रूप में संसद में पेश कए जाते हैं। वधेयक वधायी प्रस्ताव का मसौदा होता है। वधेयक संसद के कसी एक सदन में मंत्रिपरिषद द्वारा या कसी निर्वा चत सदस्य द्वारा पेश कया जा सकता है। इस प्रकार मोटे तौर पर, वधेयक दो प्रकार के होते हैं: (क) मंत्रिपरिषद के वधेयक और (ख) निर्वा चत सदस्यों के वधेयक। व ध का रूप लेने वाले अ धकांश वधेयक मंत्रिपरिषद के वधेयक होते हैं। वैसे तो निर्वा चत सदस्यों के बहुत कम वधेयक व ध का

रूप लेते हैं। फर भी उनके द्वारा यह बात संसद और लोगों के ध्यान में लाई जाती है क मौजूदा कानून में संशोधन करने या कोई आवश्यक वधान बनाने की आवश्यकता है।

वधेयक का मसौदा उस वषय से संबं धत मंत्रालय में व ध मंत्रालय की सहायता से तैयार कया जाता है। मंत्रिमंडल के अनुमोदन के बाद इसे संसद के सामने लाया जाता है। संबं धत मंत्री द्वारा उसे संसद के दोनों सदनों में से कसी भी सदन में पेश कया जा सकता है। केवल धन वधेयक के मामले में यह पाबंदी है क वह राज्यसभा में पेश नहीं कया जा सकता। अ धनियम का रूप लेने से पूर्व वधेयक को संसद में व भन्न अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। प्रत्येक वधेयक के प्रत्येक सदन में तीन वाचन होते हैं। अर्थात पहला वाचन, दूसरा वाचन और तीसरा वाचन। वधेयक 'पेश करना,' वधेयक का पहला वाचन है। प्रथा के अनुसार इस अवस्था में चर्चा नहीं की जाती है। वधेयक का दूसरा वाचन सबसे अ धक वस्तृत एवं महत्वपूर्ण अवस्था है क्यों क इसी अवस्था में इसकी वस्तृत एवं बारीकी से जांच की जाती है। जब वधेयक के सभी खंडो पर और अनुसू चयों पर, यदि कोई हों, सदन वचार कर उन्हें स्वीकृत कर लेता है। तब मंत्री यह प्रस्ताव कर सकता है क वधेयक को पास कया जाए। यह तीसरा वाचन कहलाता है। इस वाचन में (केवल) निर्वा चत सदस्य मतदान करके कसी भी बिल को पारित करते हैं। मंत्रियों को बिलों पर मतदान का अ धकार सं वधान के तहत नही है। जिस सदन में वधेयक पेश कया गया हो उसमें पारित कए जाने के बाद उसे सहमति के लए दूसरे सदन में भेजा जाता है। वहाँ वधेयक फर इन तीनों अवस्थाओं में से गुजरता है।

कसी  वधेयक पर दोनों सदनों के बीच असहमति के कारण गतिरोध होने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है। जब दोनों सदनों द्वारा कोई  वधेयक अलग अलग या संयुक्त बैठक में पास कर दिया जाता है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। यदि राष्ट्रपति अनुमति प्रदान कर देता है तो अनुमति की ति थ से  वधेयक अ धनियम बन जाता है। संशोधन के द्वारा सं वधान के  कसी भी अनुच्छेद में बदलाव लाया जा सकता है।  कंतु उच्चतम न्यायालय के निर्णय के अनुसार सं वधान के मूल ढांचे या मूल तत्वों को नष्ट या न्यून करने वाला कोई परिवर्तन नहीं  कया जा सकता।

## संसदीय  वशेषा धकार

संसदीय  वशेषा धकार वे  व शष्ट अ धकार हैं जो संसद के दोनों सदनों को, उसके सदस्यों को और स मतियों को प्राप्त है।  वशेषा धकार इस दृष्टि से दिए जाते हैं  क संसद के दोनों सदन, उसकी स मतियां और सदस्य स्वतंत्र रूप से काम कर सकें। उनकी गरिमा बनी रहे परंतु इसका यह अर्थ नहीं है  क कानून की नजरों में साधारण नागरिकों के मुकाबले में  वशेषा धकार प्राप्त सदस्यों की स् थति  भन्न है। जहां तक  व धयों के लागू होने का संबंध है, सदस्य लोगों के प्रतिनि ध होने के साथ साथ साधारण नागरिक भी होते हैं। मूल  व ध यह है  क संसद सदस्यों सहित सभी नागरिक कानून की नजरों में बराबर माने जाने चाहिए। जो दायित्व अन्य नागरिकों के हों वही उनके भी होते हैं और शायद सदस्य होने के नाते कुछ अ धक होते हैं।

संसदों का सबसे महत्वपूर्ण वशेषा धकार है सदन और उसकी स मतियों में पूरी स्वतंत्रता के साथ अपने वचार रखने की छूट। संसद के कसी सदस्य द्वारा कही गई कसी बात या दिए गए कसी मत के संबंध में उसके वरूद्ध कसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। संसदीय वशेषा धकारों की सू चयां तैयार की जा सकती हैं। वास्तव में ये तैयार भी की गईं हैं परंतु ऐसी कोई भी सूची पूरी नहीं है। थोड़े में कह सकते हैं क कोई भी वह काम जो सदन के, उसकी स मतियों के या उसके सदस्यों के काम में कसी प्रकार की बाधा डाले वह संसदीय वशेषा धकार का हनन करता है। उदाहरण के लए, कोई सदस्य न केवल उस समय गरफ्तार नहीं कया जा सकता जब क उस सदन का, जिसका क वह सदस्य हो, अ धवेशन चल रहा हो या जब क उस संसदीय स मति की, जिसका वह सदस्य हो, बैठक चल रही हो, या जब क दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो, या जब क दोनों सदनों की संयुक्त बैठक चल रही हो। संसद के अ धवेशन के प्रारंभ से 40 दिन पहले और उसकी समाप्ति से 40 दिन बाद या जब क वह सदन को आ रहा हो या सदन के बाहर जा रहा हो, तब भी उसे गरफ्तार नहीं कया जा सकता।

संसद के परिसरों के भीतर, अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना, दीवानी या आपरा धक कोई कानूनी 'समन' नहीं दिए जा सकते हैं। अध्यक्ष/सभापति की अनुमति के बिना संसद भवन के अंदर कसी को भी गरफ्तार नहीं कया जा सकता है। क्यों क संसद के परिसरों में केवल संसद के सदन के या अध्यक्ष/सभापति के आदेशों का पालन होता है।

यहां अन्य  कसी सरकारी प्रा धकारी के या स्थानीय प्रशासन के आदेश का पालन नहीं होता।

संसद का प्रत्येक सदन अपने  वशेषा धकार का स्वयं ही रक्षक होता है।  वशेषा धकार भंग करने या सदन की अवमानना करने वाले को भर्त्सना करके या ताड़ना करके या निर्धारित अव ध के  लए कारावास द्वारा दं डत कर सकता है। स्वयं अपने सदस्यों के मामले में सदन अन्य दो प्रकार के दंड दे सकता है, अर्थात सदन की सेवा से नलंबित करना और नकाल देना,  कसी सदस्य को एक निर्धारित अव ध के  लए सदन की सेवा से नलंबित  कया जा सकता है।  कसी अति गंभीर मामले में सदन से निकाला जा सकता है।

सदन अपरा धयों को ऐसी अव ध के  लए कारावास का दंड दे सकता है जो साधारणतया सदन के अ धवेशन की अव ध से अ धक नहीं होती। जैसे ही सदन का सत्रावसान होता है, बंदी को मुक्त कर दिया जाता है। दर्शकों द्वारा गैलरी में नारे लगाकर और/अथवा इश्तिहार फेंककर सदन की अवमानना करने के कारण, दोनों सदनों ने, समय समय पर, अपरा धयों को सदन के उस दिन स्थ गत होने तक कारावास का दंड दिया है।

सदन का दां डक क्षेत्र अपने सदनों तक और उनके सामने  कए गए अपराधों तक ही सी मत न होकर सदन की सभी अवमाननाओं पर लागू होता है। चाहे अवमानना सदस्यों द्वारा की गई हो या ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो सदस्य न हों। इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ता  क अपराध सदन के भीतर  कया गया है या उसके परिसर से बाहर। सदन का  वशेषा धकार भंग करने या उसकी अवमानना करने के कारण व्यक्तियों को दंड देने की

सदन की यह शक्ति संसदीय  वशेषा धकार की नींव है। सदन की ऐसी पंरपरा भी रही है  क सदन का  वशेषा धकार भंग करने या सदन की अवमानना करने के दोषी व्यक्तियों द्वारा स्पष्ट रूप से और बिना  कसी शर्त के दिल से व्यक्त  कया गया खेद सदन द्वारा स्वीकार करर  लया जाता है। ऐसे में साधारणतया सदन अपनी गरिमा को देखते हुए ऐसे मामलो पर आगे कार्यवाही न करने का फैसला करता है।

## सदस्यों के वेतन एवं भत्ते

दोनों सदनों के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद समय समय पर,  व ध द्वारा तय करे, पाने के हकदार है। संसद ने संसद सदस्य (वेतन, भत्ते और पेंशन) अ धनियम के अधीन सदस्यों को पेंशन दिए जाने की स्वीकृति दी है। चार वर्ष के सेवाकाल वाले प्रत्येक सदस्य तो एक हजार चार सौ रूपये प्रति मास की पेंशन दी जाती है। इसके अतिरिक्त पाँच वर्ष के बाद की सेवा के प्रत्येक वर्ष के  लए 250 रूपये और दिए जाते हैं। प्रत्येक सदस्य 1500 रूपये प्रतिमास का वेतन तथा ऐसे स्थान पर, जहाँ संसद के  कसी सदन का अ धवेशन या स मति की बैठक हो, ड्यूटी पर निवास के दौरान 200 रूपये प्रतिदिन का भत्ता प्राप्त करने का हकदार है। मा सक वेतन तथा दैनिक भत्ते के अलावा

प्रत्येक सदस्य 3000 रूपये मा सक का निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 1000 रूपये प्रतिमास की दर से कार्यालय व्यय प्राप्त करने का हकदार है।

प्रत्येक सदस्य व भन्न यात्रा –भत्ते पाने का हकदार है जिनमें: रेल द्वारा यात्रा के लए: एक प्रथम श्रेणी के तथा एक द् वतीय श्रेणी के कराए के बराबर रकम। वमान द्वारा यात्रा के लए: प्रत्येक ऐसी यात्रा के लए वमान कराए के सवा गुना के बराबर रकम। सड़क द्वारा यात्रा के लए: पाँच रूपये प्रति कलोमीटर तथा स्टीमर द्वारा यात्रा के लए उच्चतम श्रेणी के कराए के अतिरिक्त उसका 3/5 भाग। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य को प्रतिवर्ष देश के अंदर कहीं भी अपनी पत्नी/अपने पति या सहचर के साथ 28 एक तरफा वमान यात्राएं करने की छूट होती है। प्रत्येक सदस्य को देश के अंदर कहीं भी, कतनी भी बार, वातानुकू लत श्रेणी में यात्रा के लए स्वयं तथा सहचर के लए एक रेलवे पास भी मलता है। पत्नी/पति के लए एक अलग से पास भी मल सकता है। इसके अलावा, प्रत्येक सदस्य निशुल्क टेलीफोन; एक दिल्ली में तथा दूसरा अपने निवास स्थान पर लगवानें का हकदार है। इसके अलावा, उसे प्रतिवर्ष निशुल्क 50,000 स्थानीय काल करने की छूट होती है। साथ ही प्रत्येक सदस्य को दिल्ली में मकान दिया जाता है। फ्लैटों के

लए कोई शुल्क नहीं है। जब क बंगलों के  लए नाममात्र लाईसेंस शुल्क लगाया जाता है। कतिपय सीमाओं में बिजली तथा पानी निःशुल्क होते हैं। प्रत्येक सदस्य को उसके कार्यकाल के दौरान वाहन खरीदने के  लए अ ग्रम-रा श दी जाती है।

सदस्यों को जो अन्य सु वधाएं प्रदान की जाती हैं उनमें आशु ल पक तथा टंकण पूल, आयकर में राहत, कैंटीन, जलपान और खानपान, क्लब, कामन रूम, बैंक, डाकघर, रेलवे तथा हवाई बु कंग तथा आरक्षण, बस परिवहन, एल पी जी सेवा,  वदेशी मुद्रा का कोटा, लॉकर, सुपर बाजार आदि शा मल है। संसद परिसर में एकमात्र सदस्यों के  लए एक सुसज्जित प्राथ मक  च कत्सा अस्पताल भी है।

संसद परिसर

संसद भवन

संसद की इमारतों में संसद भवन, संसदीय सौध, स्वागत कार्यालय और निर्माणाधीन संसदीय ज्ञानपीठ अथवा संसद ग्रंथालय सम्मि लत है। इन सभी को मलाकर संसद परिसर कहा जाता है इसमें लंबे-चौड़े लान, जलाशय, फव्वारे और सड़कें बनी हुई हैं। यह

सारा परिसर सजावटी लाल पत्थर की दीवारों तथा लोहे के जंगलों और लोहे के ही वशाल दरवाजों से घिरा हुआ है।

संसद भवन का निर्माण १९२१-१९२७ के दौरान कया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है। यह वश्व के कसी भी देश में वद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना वश्व के सर्वोत्तम वधान-भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक वशाल वृत्ताकार भवन है। जिसका व्यास ५६० फुट तथा जिसका घेरा ५३३ मीटर है। यह लगभग छह एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के १२ दरवाजे हैं, जिनमें से पाँच के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के १४४ चत्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित हैं। जिनकी प्रत्येक की ऊँचाई २७ फुट है।

संसद भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन से 750 मीटर की दूरी पर, संसद मार्ग पर स्थित है जो सेंट्रल वस्टा को पार करता है और इं डया गेट, युद्ध स्मारक, प्रधानमन्त्री कार्यालय और निवास, मंत्री भवन और भारत सरकार की अन्य प्रशासनिक इकाइयों से घिरा हुआ है। इसके सदन लोक सभा और राज्य सभा हैं जो भारत की द् वसदनीय संसद में क्रमशः निचले और उच्च सदनों का प्रतिनि धत्व करते हैं।

इसका निर्माण 2021 और 2023 के बीच कया गया था। भारत सरकार की सेंट्रल वस्टा जीर्णोद्धार परियोजना के हिस्से के रूप में वर्तमान भवन के ठीक सामने संसद के लए एक नया भवन निर्माणाधीन है।

संसद भवन, लोकसभा सांसद बैठक कक्ष

## निर्माण

संसद भवन

संसद भवन का निर्माण १९२१-१९२७ के दौरान कया गया था। संसद भवन नई दिल्ली की बहुत ही शानदार भवनों में से एक है। यह वश्व के कसी भी देश में वद्यमान वास्तुकला का एक उत्कृष्ट नमूना है। इसकी तुलना वश्व के सर्वोत्तम वधान-भवनों के साथ की जा सकती है। यह एक वशाल वृत्ताकार भवन है। जिसका व्यास ५६० फुट तथा जिसका घेरा ५३३ मीटर है। यह लगभग छह एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है। भवन के १२ दरवाजे हैं, जिनमें से पाँच के सामने द्वार मंडप बने हुए हैं। पहली मंजिल पर खुला बरामदा हल्के पीले रंग के १४४ चत्ताकर्षक खंभों की कतार से सुसज्जित हैं। जिनकी प्रत्येक की ऊँचाई २७ फुट है।

भले ही इसका डजाइन वदेशी वास्तुकारों ने बनाया था कंतु इस भवन का निर्माण भारतीय सामग्री से तथा भारतीय श्र मकों द्वारा कया गया था। तभी इसकी वास्तुकला पर भारतीय परंपराओं की गहरी छाप है।

इस भवन का केंद्र बिंदु केंद्रीय कक्ष (सेंट्रल हाल) का वशाल वृत्ताकार ढांचा है। केंद्रीय कक्ष के गुबंद का व्यास ९८ फुट तथा इसकी ऊँचाई ११८ फुट है। वश्वास कया जाता है क यह वश्व के बहुत शानदार गुबंदों में से एक है। भारत की सं वधान सभा की बैठक (१९४६-४९) इसी कक्ष में हुई थी। १९४७ में अंग्रेजों से भारतीयों के हाथों में सत्ता का ऐतिहा सक हस्तांतरण भी इसी कक्ष में हुआ था। इस कक्ष का प्रयोग अब दोनों सदनों की संयुक्क्त बैठक के लए तथा राष्ट्रपति और व शष्ट अति थयों-राज्य या शासनाध्यक्ष आदि के

अ भभाषण के  लए  कया जाता है। कक्ष राष्ट्रीय नेताओं के  चत्रों से सज़ा हुआ है। केंद्रीय कक्ष के तीन ओर लोक सभा, राज्य सभा और ग्रंथालय के तीन कक्ष हैं। उनके बीच सुंदर बग़ीचा है जिसमें घनी हरी घास के लान तथा फव्वारे हैं। इन तीनों कक्षों के चारों ओर एक चार मंजिला वृत्ताकार इमारत बनी हुई है। इसमें मंत्रियों, संसदीय स मतियों के सभापतियों और पार्टी के कार्यालय हैं। लोक सभा तथा राज्य सभा स चवालयों के महत्वपूर्ण कार्यालय और संसदीय कार्य मंत्रालय के कार्यालय भी यहीं हैं।

पहली मंजिल पर चार स मति कक्षों का प्रयोग संसदीय स मतियों की बैठकों के  लए  कया जाता है। इसी मंजिल पर तीन अन्य कक्षों का प्रयोग संवाददाताओं द्वारा  कया जाता है। संसद भवन के भू म-तल पर ग लयारे की बाहरी दीवार को अनेक  भत्ति- चत्रों से सजाया गया है। जिनमें प्राचीन काल से भारत के इतिहास तथा पड़ोसी देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को प्रद र्शत  कया गया है।

लोक सभा कक्ष में, आधुनिक ध्वनि व्यवस्था है। दीर्घाओं में छोटे छोटे लाउडस्पीकर लगे हुए हैं। सदस्य माईक्रोफोन के पास आए बिना ही अपनी सीटों से बोल सकते हैं। लोक सभा कक्षा में स्वचा लतमत-अ भलेखन उपकरण लगाए गए हैं। जिनके द्वारा सदस्य मत वभाजन होने की स् थति में शीघ्रता के साथ अपने मत अ भ ल खत कर सकते हैं।

राज्य सभा कक्ष लोक सभा कक्ष की भांति ही है। यह आकार में छोटा है। इसमें 250 सदस्यों के बैठने के  लए स्थान हैं।

केंद्रीय कक्ष के दरवाजे के ऊपर हमें पंचतंत्र से संस्कृत का एक पद्यांश देखने को मलता है :-

" अयं निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम्। उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम।।
अर्थात्: "यह मेरा है तथा वह पराया है, इस तरह की धारणा संकीर्ण मन वालों की होती है। कंतु वशाल हृदय वालों के लए सारा वश्व ही उनका कुटुंब होता है।" "

## स्वागत कार्यालय

स्वागत कार्यालय 1975 में नि र्मत एक वृत्ताकार इमारत है। यह आकार में अ धक बड़ी नहीं है। यह बड़ी संख्या में आने वाले मुलाकातियां/दर्शकों के लए, जो सदस्यों, मंत्रियों आदि से मलने के लए या संसद की कार्यवाही को देखने के लए आते हैं, एक मैत्रीपूर्ण प्रतीक्षा स्थल है। इमारत, पूरी तरह से वातानुकू लत है।

## संसदीय सौध

संसदीय सौध की इमारत 9.8 एकड़ भूखंड पर बनी हुई है। इसका फर्शी क्षेत्रफल 35,000 वर्ग मीटर है। इसका निर्माण 1970-75 के दौरान हुआ। आगे तथा पीछे के ब्लाक तीन मंजिला तथा बीच का ब्लाक 6 मंजिला है। नीचे की मंजिल पर जलाशय जिसके ऊपर झूलती हुई सीढियां बनी हुई हैं।

भू मतल एक अत्याधुनिक स्थान है। यहां राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं। एक वर्गाकार प्रांगण के चारों ओर एक मुख्य स मति कक्ष तथा चार लघु स मति कक्षों का

समूह है। इस प्रांगण के बीच में एक अष्टकोणीय जलाशय है। प्रांगण में ऊपर की ओर पच्चीकारी युक्त जाली का पर्दा है। वहां पौधे लगाकर एक प्राकृतिक दृश्य तैयार कया गया है। इसमें पत्थर की टुक ड़यों तथा छोटे पत्थरों के खंड बनाए गए हैं। पांचों के पांचों स मति कक्षों में संसद भवन में लोक सभा तथा राज्य सभा कक्षों की भांति साथ साथ भाषांतर की व्यवस्था है। प्रत्येक कक्ष के साथ संसदीय स मतियों के सभापतियों के कार्यालयों के लए एक कमरा है।

## संसद में सेवा-सु वधाएं

संसद में दोनों सदनों से संबं धत सारे काम के समु चत संचालन के लए, लोक सभा स चवालय और राज्यसभा स चवालय बनाए गए हैं। दोनों स चवालयों में सबसे शीर्ष पर एक महास चव होता है। प्रत्येक स चवालय अपने पीठासीन अ धकारियों और सभी सदस्यों को आवश्यक सलाह, सहायता और सु वधाएं प्रदान करता है। स चवालय के अलग अलग भाग-अनुभाग हैं। जैसे वधायी कार्य, प्रश्नकाल, स मति प्रशासन, ग्रंथालय और सूचना सेवा, रिपोर्टिंग, भाषांतर और अनुवाद मुद्रण और प्रकाशन, सुरक्षा और सफाई।

## संसद ग्रंथालय तथा सूचना-सेवा

भारतीय संसद के पास बहुत ही कुशल सूचना सेवा केंद्र है। साथ ही एक उत्तम संसदीय पुस्तकालय भी है। इसे संसद ग्रंथालय तथा संदर्भ, अनुसंधान, प्रलेखन और सूचना सेवा

कहा जाता है। इसका पहला उद्देश्य संसद सदस्यों को देश  वदेश के दैनिक घटनाक्रम की पूरी जानकारी उपलब्ध कराना है।

इस समय इस पुस्तकालय में 15 लाख से अ धक पुस्तकें हैं। अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाओं के लगभग 300 भारतीय तथा  वदेशी समाचारपत्र यहां आते हैं। 1100 के करीब पत्र-पत्रिकाओं, कला पुस्तकों आदि का  वशाल संग्रह है। सबसे पुरानी छपी हुई पुस्तक 1871 की है।  कंतु, पुस्तकालय की सर्वा धक मूंल्यवान धरोहर सं वधान सभा द्वारा यथा स्वीकृत तथा इसके सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित भारत के सं वधान की हिंदी तथा अंग्रेजी में मूल सु ल खत प्रति है।

समय समय पर संसद ग्रंथालय रू च के  वषयों पर पुस्तक प्रदर्शनियों का आयोजन करता है। अनुसंधान तथा सूचना प्रभाग संसद सदस्यों की सूचना संबंधी अपेक्षाओं का पहले से अनुमान लगा लेता है। िफर उ चत समय पर वस्तुनिष्ठ सूचना सामग्री जैसे  ववर णकांएं सूचना बुलेटिन, पृष्ठभू म टिप्पण, तथ्य-पत्र आदि जारी करता है। इससे सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में वर्तमान घटनाक्रम की जानकारी  मलतीरहती है।

प्रेस तथा लोक संपर्क प्रभाग लोक सभा स चवालय के प्रेस तथा लोक संपर्क से संबं धत सारे कार्य की देखभाल करता है। जिसमें, मुख्य रूप से, प्रेस, सरकारी प्रचार संगठनों और जन प्रचार माध्यमों (मी डया) के साथ निरंतर संपर्क बनाए रखना सम् म लत होता है।

1987 में कंप्यूटर केंद्र की स्थापना की गई। संसदीय ग्रंथालय सूचना प्रणाली नेशनल इन्फार्मेशन सेंटर नेटवर्क से जुड़ी हुई है। इस प्रणाली द्वारा समूचे देश में जिला सूचना केंद्रों के साथ सूचनाओं का आदान प्रदान  कया जा सकता है।

प्रलेखन सेवा का मुख्य कार्य पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों, रिपोर्टों, पत्र-पत्रिकाओं, समाचारपत्रों की कतरनों और प्रलेखों को ठीक स्थान पर रखना, उनका संग्रह करना है। इनका  वषयगत वर्गीकरण अथवा सूचीकरण  कया जाता है।  फर संसद सदस्यों को उनके दिन प्रतिदिन के संसदीय कार्य में प्रयोग के  लए संबं धत सामग्री का सारांश उपलब्ध कराया जाता है।